

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC COOPERATION AND CHILD DEVELOPMENT
5, SIRI INSTITUTIONAL AREA, HAUZ KHAS, NEW DELHI – 110016

No.NI/VII-12/2020-21/Gen. Sec.

Dated: 22.12.2022

CIRCULAR

It is to inform that the following Staff Quarters (17 Nos.) are Vacant in NIPCCD Campus, New Delhi for allotment:-

Sl. No.	Type of Staff Quarters	Vacant Nos.	Eligibility of Officers/Employees as per Existing Grade Pay/Basic Pay and Level of Pay Matrix
1.	B-2,B-5*,B-6,B-7,B-11,B-12, B-14, B-15 and B-16	09 nos.	Grade Pay/Basic Pay Rs. 1900, Rs.2000, Rs. 2400 and Rs. 2800 (Level in the Pay Matrix 2,3,4,& 5)
2.	C-5,C-7 and C-8	03 Nos.	Grade Pay/Basic Pay Rs. 4200, Rs. 4600 and Rs. 4800 (Level in the Pay Matrix 6,7& 8)
3.	D-1, D-4 and D-5 (D-1 Allotted but not occupied till date)	03 nos.	Grade Pay/Basic Pay Rs.5400 to Rs.6600 (Level in the Pay Matrix 9,10 & 11)
4.	E-1 and E-2	02 Nos.	Grade Pay/Basic Pay Rs.7600 to Rs.8000 and 8700 (Level in the Pay Matrix 12 & 13)

*(Quarter no. B-5 will be vacated shortly)

2. Interested eligible Officers/Employees of the Institute as per pay matrix mentioned in the above Table, may apply for Vacant Staff Quarters and submit their applications, in the prescribed Proforma which can be obtained from General Administration, Room No. 107. The same should reach Assistant Administrative Officer (General) I/c, Room No. 107 by **28th December, 2022 up to 5.00 P.M.**

3. This issues with the approval of the Competent Authority.

Hemambika
(Hemambika Varma) 24/12/22
Editor & AAO(G)I/c

Distribution:-

1. All Staff Members of the Institute
2. Notice Board
3. Website of the Institute

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
5, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली 110016

संदर्भ : संस्थान के परिपत्र संख्या एनआई/

दिनांक :

1.	पूरा नाम		
2.	पदनाम		
3.	लेवल (Level)		
4.	मूल वेतन		
5.	संस्थान में नियमित सेवा ग्रहण करने की तारीख		
6.	आवेदन पत्र किसके लिए है।	क	प्राथमिक तारीख के आधार पर अधिकृत क्वार्टर का आबंटन या मेरे मौजूदा आबंटित क्वार्टर को समान टाइप के क्वार्टर संख्या _____ में बदलना
		ख	मेरे मौजूदा आबंटित क्वार्टर को मेरी हकदारी के अनुसार अन्य टाइप के क्वार्टर में बदलना या बिना बारी के क्वार्टर आबंटित करना।
		ग	मेरे मौजूदा आबंटित क्वार्टर को मेरी हकदारी के अनुसार अन्य टाइप के क्वार्टर में बदलना या बिना बारी के क्वार्टर आबंटित करना।
		घ	बिना बारी के क्वार्टर आबंटित करना। या
		ङ	आवेदित किया गये क्वार्टर कि अनुपलब्धता पर अन्य खाली होने वाले क्वार्टर पर सहमति देता हूँ / देती हूँ।
7.	अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवेदक का अपना या उसकी पत्नी / उनके पति का या अन्य किसी आश्रित का मकान है तो उसका पता लिखें।		

- यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सही है।
- मैं इस मकान में निदेशक का निर्णय स्वीकार करने का वचन देता / देती हूँ।
- क्वार्टर का आबंटन होने पर अगर मैं उसे लेने को मना करता / करती हूँ तो मुझे स्टाफ क्वार्टर की तारीख से एक वर्ष के लिए फिर से स्टाफ क्वार्टर नहीं मिलेगा।
- समिति क्वार्टरों के आबंटन / बदलने के लिए निदेशक को उपर्युक्त सिफारिशें करेगी।
- समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तथा कुछ स्टाफ सदस्यों के परिसर में रहने की अनिवार्यता तथा उपयोगिता के कारण उन्हें बिना बारी के क्वार्टर आबंटित करने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए निदेशक उप विधि 12(4) के अन्तर्गत स्व-विवेक से अपना निर्णय लेंगे और वह समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से/ आंशिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं, या उन्हें स्वीकार कर सकते हैं।
- क्वार्टर के आबंटन पर आवेदक उसे लेने से मना नहीं करेगा, ऐसा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए क्वार्टर के आबंटन की रोक लगा दी जाएगी।
- इस संबंध में निदेशक के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं करेगा जब तक कि निदेशक को सिफारिशें करते हुए समिति से कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट न गया हो और निदेशक से जिसे स्वीकार कर लिया हो।
- ये मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचालन कि तिथि से लागू होंगे।

(आवेदक से हस्ताक्षर)